

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर
पंजीयन क्रमांक 225 दिनांक 31.10.2000

कर्मचारी, भर्ती, वर्गीकरण तथा सेवा शर्ते नियम वर्ष - 1994

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित

ए-25 व्ही.आई.पी.इस्टेट, खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)



कर्मचारी, भर्ती, वर्गीकरण तथा सेवा शर्तें नियम वर्ष 1994

विषय सूची

नियम	विषय वस्तु	पृष्ठ
	अध्याय - एक	
1	संक्षिप्त नाम	1
2	प्रारम्भ	1
3	परिभाषायें	1
4	प्रवर्तन	2
4 अ	सेवा का गठन	3
5	नियमों में संशोधन	3
	अध्याय - दो	
6	वर्गीकरण	4
7	नियुक्ति की पात्रता	5
8	भर्ती के तरीके	5-9
9	संघ के नियमित कर्मचारी	9
10	वह तारीख जब से वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे	9
11	अधिवार्षिकी की आयु	9
12	सेवा समाप्ति	9
13	त्याग-पत्र	9
14	शारीरिक अयोग्यता के कारण सेवानिवृत्ति	10
15	स्वयमेव सेवा समाप्ति	10
16	स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति	10
17	स्थानांतरण	11
18	पद समाप्ति पर छंटनी	11
19	अक्षम, अयोग्य तथा भ्रष्ट कर्मचारियों को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने के पूर्व अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करना	11
	अध्याय - तीन	
	भरती, पदोन्नति, परिवीक्षा एवं वरिष्ठता	
20	भर्ती का तरीका	12
21	सेवा पर नियुक्ति	12
22	सीधी भर्ती की पात्रता के लिये शर्तें	13-14
23	निरहता	15
24	अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा	15
25	प्रतियोगी परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती	15



26	समिति द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची	16
27	सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्ति की परीक्षा अवधि	17
28	पदोन्नति द्वारा नियुक्त	17
29	पदोन्नति/स्थानान्तरण के लिये पात्रता की शर्तें	17
30	उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार किया जाना	18
31	चयन सूची	18
32	चयन सूची से सेवा नियुक्त	18
33	पदोन्नति से नियुक्त व्यक्ति की परीक्षा अवधि	19
34	--	19
अध्याय - चार		
वेतन/अतिरिक्त वेतन आदि		
35	पद पर नियुक्ति पर प्रारंभिक वेतन	20
36	वेतन वृद्धि स्वीकृत करना	20
37	वह सेवा जिसकी वेतन वृद्धियों के लिये गणना की जायेगी	20
38	वह तारीख जिसमें वेतन वृद्धि आहरित की जावेगी	20
39	निम्नतर पद पर अद्यतन किये जाने की स्थिति में वेतन	21
40	पदावनत किये जाने पर वेतन वृद्धि के लिये पूर्व सेवा की गणना की जायेगी या नहीं	21
41	वेतन वृद्धि रोकने या ओहदे में कमी करने से संबंधित शास्ति के संशोधन या निरस्तीकरण के पश्चात वेतन निर्धारण	21
42	प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान करना	21
43	परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत नसंबंदी कराने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन वृद्धियां	22
44	विशेष वेतन	22
45	पेंशन भोगी के पुनर्नियोजन पर वेतन	22
46	कार्यग्रहण अवधि के दौरान वेतन	22
47	कर्मचारी किस स्थिति में वेतन और भत्ते आहरित करना बन्द कर देगा	22
48	संघ में प्रतिनियुक्ति पर होने ओर बाद में संविलियन किये जाने पर वेतन निर्धारण	22-23
49	निलंबन अवधि में वेतन	23
50	विभागीय कार्यवाही या न्यायिक कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात या निलंबन के पश्चात बहाल किये जाने पर कर्मचारी का वेतन	23-24
51	चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	24
अध्याय - पांच		
भत्ते		
52	मंहगाई भत्ता	25
53	नगर क्षतिपूर्ति भत्ता	25
54	वाहन भत्ता	25
55	मकान भाड़ा भत्ता	25



56	धुलाई भत्ता	25
57	अनुग्रह भत्ता	25
58	यात्रा भत्ता	25
59	गतिरोध भत्ता, (स्टेगनेशन अलाउन्स)	25
60	कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति के पश्चात स्वयं के गृह स्थान तक जाने का यात्रा तथा परिवहन भत्ता	26
61	अधिलाभांश (बोनस)	26
62	ग्रेच्युटी (उपादन)	26
	अध्याय - छः अवकाश	
63	आकस्मिक अवकाश	27
64	विशेष आकस्मिक अवकाश	27
65	नसबंदी आपरेशन के लिये आकस्मिक अवकाश	27
66	आकस्मिक अवकाश किसी अन्य अवकाश के साथ नहीं जोड़ा जावेगा	27
67	सार्वजनिक अवकाश आगे पीछे जोड़े जा सकते हैं	27
68	स्वीकार किये जाने वाले आकस्मिक अवकाश की अधिकतम सीमा	27
69	आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र	28
70	अर्जित अवकाश	28
71	सेवानिवृत्ति पर या मृत कर्मचारियों के अवकाश लेखे में अर्जित अवकाश का समर्पण तथा नगदीकरण	28-29
72	अर्द्धवैतनिक अवकाश	29-30
73	लघुकृत अवकाश (कम्यूटेड)	30
74	अर्जित शोध्य अवकाश (Leave not due)	30-31
75	असाधारण अवकाश	31
76	प्रसूति अवकाश	31
76 अ	पितृत्व अवकाश	31
77	उच्च शिक्षा हेतु अवकाश	32
78	ऐच्छिक अवकाश	32
79	विशेष निरयोग्यता अवकाश	32
80	सार्वजनिक अवकाश के पहले/बाद में अवकाश जोड़ना	32
81	अवकाश की स्वीकृति को शासित करने सामान्य सिद्धांत	32
82	कर्तव्य पर वापस बुलाना	33
83	अवकाश वेतन	33
	अध्याय - सात	
84	कार्यग्रहण अवधि	34
85	-	34
86	कार्यग्रहण अवधि के दौरान अवकाश	34
87	कार्यग्रहण अवधि को कर्तव्य अवधि माना जावेगा	34
88	कार्यग्रहण अवधि के दौरान वेतन	34



अध्याय - आठ		
89	भाग-अ सेवापुस्तिका अनुरक्षण	35-36
90	जन्म तारीख	36
91 अ	गोपनीय चरित्रावली	36-37
91 ब	प्रतिकूल अभ्युक्ति सूचना	37
अध्याय - नौ		
विविध		
92	कर्मचारियों द्वारा प्रतिभूति जमा	38
93	कर्मचारी भविष्य निधि, परिवार पेंशन तथा जमा लिंक योजना	38
94	अनुशासन तथा अपील नियम	38
94.1	कर्मचारी सेवा की समाप्ति	38
94.2	कार्य के प्रति निष्ठा	39
94.3	गोपनीयता	39
94.4	किसी भी समिति या किसी भी प्राधिकरण के समक्ष साक्ष्य देना	39
94.5	कर्मचारी संघ के हितों को बढ़ावा देगा	39
94.6	राजनीति में भाग लेने तथा चुनाव लड़ने पर पाबन्दी	39-40
94.7	रेडियो या प्रेस के संबंध	40
94.8	निजी व्यापार एवं नियोजन	40
94.9	अध्ययन	40
94.10	आर्थिक लेन-देन तथा पुरस्कार या भेंट	40-41
94.11	संघ की सम्पत्ति तथा धन की सुरक्षा	41
94.12	संघ के हितों को हानि पहुंचाना	41
94.13	ऋण ग्रस्तता	41
94.14	अचल संपत्ति का क्रय	41
94.15	आवश्यक जानकारी एवं अभिलेख प्रस्तुत कराना	41
94.16(अ)	अनुशासनिक कार्यवाही, दुराचरण तथा दंड	42-44
94.16(ब)	साधारण दुराचरण	44
94.17	शास्तियां	44-45
94.17(अ)	परन्तु निम्नलिखित में इस नियम के तात्पर्य के अंतर्गत शास्ति नहीं होगी	45-46
94.18	अनुशासिकधिकारी	46
94.19	लघु शास्तियां अधिरोपित करने की प्रक्रिया	46
94.20	मुख्य शास्तियां अधिरोपित करने की प्रक्रिया	46-48
94.21	सामान्य कार्यवृत्त	48
94.22	कतिपय मामलो में विशेष प्रक्रिया	48
94.23	पुनर्विलोकन [Review]	49
94.24	निलम्बन	49
94.25	निलंबन काल में अधिकारी/कर्मचारी को निर्वाह भत्ता	50
94.26	अपील	50
94.27	अपील का प्रारूप तथा उसकी विषय वस्तु	50



94.28	अपील पर विचार	50-51
94.29	अपील के लिये अवधिकाल	51
94.30	अपील में दिये गये आदेशों का कार्यान्विति	51
94.31	अपीलीय प्राधिकारी	51
94.32	कब अपील स्वीकार योग्य नहीं हो सकेगी	51
94.33	अपील निराकरण की प्रक्रिया	52
94.34	पुनरीक्षण [Revision]	52
95	-	52
96	-	52
	अनुसूची- एक	53-54
	अनुसूची- दो	55
	अनुसूची- तीन	56
	अनुसूची- चार	57
	अनुसूची- पांच	58



छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर
पंजीयन क्रमांक 225 दिनांक 31.10.2000

कर्मचारी, भर्ती, वर्गीकरण तथा सेवा शर्तें नियम वर्ष - 1994

अध्याय एक

संक्षिप्त नाम :-

1. ये नियम "छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, कर्मचारी, भरती, वर्गीकरण तथा सेवा शर्तें नियम 1994" कहलायेंगे ।

प्रारंभ :-

2. ये नियम इस सम्बन्ध में पिछले सभी नियमों को निष्प्रभावी कर प्रभावी होंगे तथा उस दिनांक से प्रभावशील होंगे जिस दिनांक को पंजीयक, सहकारी संस्थायें, छत्तीसगढ़ द्वारा ये अनुमोदित किये जायेंगे ।

परिभाषायें :-

3. इन नियमों में यदि विषय या प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

1. 'नियुक्त प्राधिकारी' से तात्पर्य है, अनुसूची में नियुक्त प्राधिकारी के रूप में घोषित प्राधिकारी या अधिकारी ;
2. 'संघ' से तात्पर्य है, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर ;
3. 'मंडल' से तात्पर्य है, संघ के उपनियमों के अधीन गठित संचालक मंडल ;
4. 'अध्यक्ष' से तात्पर्य है, संघ के उपनियमों के अधीन गठित मंडल का अध्यक्ष ;
5. 'पंजीयक' से तात्पर्य है, छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थायें अधिनियम 1960 में परिभाषित पंजीयक, सहकारी संस्थायें, छत्तीसगढ़ ;
6. 'प्रबंध संचालक' से तात्पर्य है, संघ के उपनियमों के अधीन नियुक्त प्रबंध संचालक ;
7. 'सचिव' से तात्पर्य है, संघ के उपनियमों के अधीन नियुक्त सचिव ;
8. 'चिकित्सा मंडल' से तात्पर्य है, राज्य शासन द्वारा गठित चिकित्सा मंडल ;
9. 'कर्मचारी' से तात्पर्य है, संघ का कर्मचारी ;
10. 'नियमित' से तात्पर्य है, ऐसे कर्मचारी जिन्होंने स्थाई पद के विरुद्ध लगातार दो वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हो और जिन्हें विधिवत नियमित कर दिया गया हो ;
11. 'अस्थायी' से तात्पर्य उन कर्मचारियों से है, जिन्होंने स्थाई पद के विरुद्ध दो वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की हो और जिन्हें नियमित नहीं किया गया हो ;
12. 'पदोन्नति समिति' से तात्पर्य है, संघ के कर्मचारियों के विभागीय पदोन्नति के प्रकरणों पर विचार करने के लिये नियुक्त प्राधिकारी/प्रबंध संचालक द्वारा गठित समिति ;



13. 'चयन समिति' से तात्पर्य है, संघ की सेवा में नियुक्ति के सम्बन्ध में उम्मीदवारों की सीधी भरती हेतु चयन के प्रयोजन के लिये सेवा नियमों के अन्तर्गत प्रबंध संचालक/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित समिति ;
14. 'परिवार' से तात्पर्य है, कर्मचारी, उसकी पत्नी (एक से अधिक पत्नी सम्मिलित नहीं होगी) या पति जो पूर्णतया उस पर आश्रित हो तथा वैध बच्चे, सौतेले बच्चे, जो उसके साथ वास करते हो, तथा उस पर पूर्णतया आश्रित हों एवं माता-पिता, अविवाहित बहनें व अवयस्क भाई यदि साथ रहते हो, तथा पूर्णतया उस पर आश्रित हो ;
15. 'अनुशासिक अधिकारी' से तात्पर्य है, ऐसा अधिकारी जो लघु या मुख्य शास्ति, कर्मचारी पर अधिरोपित करने के लिये अधिकृत हो ;
16. 'अनुसूची' से तात्पर्य है, इन नियमों में संलग्न अनुसूची ;
17. 'शासन' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;
18. 'कार्यकारी संचालक' से अभिप्रेत है छ.ग. राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ का कार्यकारी संचालक;
19. 'सेवा' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के समस्त श्रेणी की सेवा;
20. 'परीक्षा' से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम 20 के अधीन सेवा में भर्ती के लिए संचालित प्रतियोगिता परीक्षा;
21. 'अन्य पिछड़ा वर्ग' से अभिप्रेत है, समय-समय पर यथा संशोधित समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5-पच्चीस-4-84 दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़ा वर्ग;
22. 'अनुसूचित जाति' से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;
23. 'अनुसूचित जनजाति' से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;
24. 'सामान्य प्रशासन विभाग' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन का सामान्य प्रशासन विभाग ;}

4. प्रवर्तन:-

ये नियम, संघ के प्रत्येक (नियमित) कर्मचारी पर जो इसके प्रभावी होने के पूर्व से नियुक्त होकर कार्यरत हों या बाद में नियुक्त हों, लागू होंगे, परन्तु ये नियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे :-

1. ऐसे कर्मचारी/अधिकारी जो संघ में प्रतिनियुक्ति पर चाहे वह अखिल भारतीय सेवा का सदस्य हो या राज्य सिविल के सदस्य हो या किसी अन्य संगठन/बैंक के सदस्य हो ।
2. संघ के अध्यक्ष, परामर्शदाता तथा विधि सलाहकार ।
3. ऐसे कर्मचारी, जो इसके पश्चात मंडल द्वारा पारित विशेष या सामान्य आदेश द्वारा अपवर्तित (Exclude) कर दिये जावें ।

1:- पत्र क्रमांक/वनो/संघ/सेशनि-1994/2013/08 दिनांक 01.08.2013 से संशोधन किया गया ।



